फर्द अहकाम

(नियम–26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)

घासीलाल बनाम् सरकार

प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण जी.सी.एम.एस. संख्या – 2025/486

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
08.10.2025	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वयं प्रार्थी[redacted] ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी की गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना में अवगत करवाया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 107 वाके ग्राम खिजूरिया ब्राहम्णान तहसील बस्सी जिला जयपुर में दर्ज खातेदार घासीराम पुत्र लादूराम के नाम से राजस्व जमावन्दी में दर्ज है। जबकि मेरा वास्तविक नाम घासीलाल पुत्र लादूराम है। जो मेरे पहचान पत्र, आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान सैकण्डरी परीक्षा सन् 1977 एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। अतः खाता संख्या नया 107 खसरा नम्बर 102/1, 106, 134, 57 कुल किता 4 रकबा 4.7798 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 वाके ग्राम खिजूरिया ब्राहम्णान प.ह. खिजूरिया ब्राहम्णान तहसील बस्सी जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज घासीराम को दुरूस्त कर सही एवं वास्तविक नाम घासीलाल दर्ज करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान सैकण्डरी परीक्षा सन् 1977, जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या नया 107 खसरा नम्बर 102/1, 106, 134, 57 कुल किता 4 रकबा 4.7798 हैक्टेयर, हल्का पटवारी रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने के पश्चात हम पाते है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में दर्ज खातेदार घासीराम पुत्र लादूराम का वास्तविक नाम घासीलाल पुत्र लादूराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश है कि खाता संख्या नया 107 खसरा नम्बर 102/1, 106, 134, 57 कुल किता 4 रकबा 4.7798 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 वाके ग्राम खिजूरिया ब्राहम्णान प.ह. खिजूरिया ब्राहम्णान तहसील बस्सी जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज खातेदार घासीराम पुत्र लादूराम के स्थान पर घासीलाल पुत्र लादूराम दुरूस्त किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तूर रहेगी। तदानुसार निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर	